

14/10/19

समय पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकी-  
कार्य से बाहर है। अवरकार पर है/पदरिक्त है  
अतः पत्रावली दिनांक 21/10/19 को पेश हो।

रीख

उपखण्ड अधिकारी, करेखा

21/10/19 पत्रावली पेश हुई। पत्रकरण में  
वकील वादी एवं स्वयं वादी का कोई  
वार-रुका-रुका कर आवाज, लगावाइ  
लगावाइ गार्ड किन्तु वकील वादी एवं  
स्वयं वादी उपस्थित नहीं आये। अतः  
वादी का वाद पत्र अदम हुआ। (पत्र)  
में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली  
में सल सुमार होकर नंबर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी प  
कलकत्ता कलकत्ता करे

